# निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

## पीठासीन अधिकारी – कैलाश चन्द गुर्जर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –89/2022

**अनवान**

1. हुसैन मोहम्मद मंसूरी पिता श्री बाबू मोहम्मद मंसूरी जाति मुस्लिम पेशा नौकरी अध्यापक निवासी पुलिस चौकी के पास बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ।

–प्रार्थी

**बनाम**

1. छोटूलाल पिता श्री रामचन्द्र सुनार जाति सुनार आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ।
2. भूमिधारी तहसीलदार सा. रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ।

विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित – श्री बाबूराम देराश्री अभिभाषक प्रार्थी

श्री पी.के. बिल्लू अभिभाषक विपक्षीगण

**निर्णय** दिनांक 06.07.2022

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 14.06.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा.टी.ए. का प्रस्तुत किया है जो कि सुदृढ़ आधारों पर आधारित होने से अवश्य ही प्रार्थी के पक्ष में निर्णित होगा, लेकिन उक्त वाद पत्र के निर्णय होने में समय लगने की संभावना है, इस बीच में विपक्षी संख्या 1 ने बिना बंटवारे कराये अपने हिस्से की कृर्षि भूमियों को बेचकर मौके पर हेर फेर कर देगा, इसलिए विपक्षी के खिलाफ तुरन्त रिलिफ की आवश्यकता होने से यह प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक है। प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकार की कृषि आराजी ग्राम बडौदिया तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 66 खसरा संख्या 214 रकबा 0.2400 है0 खसरा संख्या 225 रकबा 0.0500 है0 गु.मु.आ.चा., खसरा संख्या 226 रकबा 0.9400 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2300 है0 स्थित है, जिसमें वादी का 3/4 हिस्सा है तथा विपक्षी संख्या 01 का हिस्सा उक्त कृर्षि भूमियों में 1/4 का हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित कृर्षि भूमिया वादी एवं प्रतिवादी 1 के सयुंक्त खाते की होकर शामलाती है, जिसका रिकोर्ड व मौके पर बंटवारा नहीं हो रहा है, तथा उक्त वर्णित कृर्षि भूमियां वादी/प्रार्थी एवं विपक्षी 1 ने अपने अपने हिस्से की कृषि भूमियों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. शाखा बडौदिया से ऋण ले रखा है, जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत् 2076–79 में अंकित है। उक्त वर्णित कृर्षि भूमियों का अभी बंटवारा नहीं हुआ है, तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी के विरुद्ध एक वाद पत्र उक्त वर्णित कृर्षि भूमियों के बंटवारे एवं निषेधाज्ञा को लेकर धारा 53, 88, 188 रा.टी.ए. के तहत कर रखा है जिसका प्रकरण संख्या 85/2017 होकर न्यायालय श्रीमान में जेरकार है जिसका निर्णय होना शेष है तथा इसी प्रकरण में एक अस्थाई निषेधाज्ञा का एक प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 01 ने विरुद्ध प्रार्थी न्यायालय श्रीमान में पेश किया था, जो न्यायालय श्रीमान द्वारा खारीज कर दिनांक 07.04.2014 को निर्णित कर दिया गया है किन्तु मुल वाद न्यायालय श्रीमान मेंविचाराधीन है जो निर्णित

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

होना शेष है।प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या 01 के बीच अभी कृषि भूमियों का बंटवारा होना शेष है तथा दोनो की कृषि भूमियां शामलाती एवं संयुक्त होने से एक–एक इंच भूमि प्रार्थी व विपक्षी सं. 01 का शामलाती खाता होने से हक व अधिकार है, किन्तु विपक्षी संख्या 1 उक्त कृषि भूमियों को रहन, बेचान, मुन्तकिल करनरे की कोशिश कर मौके की स्थिति एवं राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर इन्द्राज कराने का बेजा प्रयास कर रहा है, जोकि कानूनन अवैध है। जब तक उक्त कृषि भूमियों को बंटवारा नहीं हो जाता तथा रिकार्ड में दोनो के नाम के हिस्से अलग अलग दर्ज रिकार्ड नहीं हो जाते तब तक किसी भी पक्ष को बिना किसी दूसरे पक्ष की सहमति लिए उक्त कृषि भूमियों का रहन,बेचान, मुन्तकिल करवाया जाना कानून के विधि विरूद्ध है । अन्त में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को पांबद फरमाया जावे कि वह अपने हिस्से की 1/4 कृषि भूमियों का किसी प्रकार से रहन, बेचान, मुन्तकिल तथा मौके एवं रिकार्ड की स्थिति में जब तक कृषि भूमियों को बंटवारा नहीं हो जाता,कृषि भूमियों में परिवर्तन ना तो स्वयं करे, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाने का निवेदन किया

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब करने पर विपक्षी संख्या 1 प्रार्थनापत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 वादी प्रार्थी ने बंटवारे हेतू कोई वाद पत्र पेश ही नही किया है, इसिलिए यह दावा चलने योग्य नही है जो अनुतोष चाहा है वह भी बंटवारा कराये जाने तक चाहा गया है और बंटवारे हेतू कोई वाद पत्र पेश नही किया गया है। वर्तमान में प्रकरण संख्या 85/2017 एवं 49/2013 विचाराधीन नहीं है। दोनों का निर्णय हो चुका है, प्रार्थी वादी ने गलत तथ्य अंकित किये है दोनो प्रकरणों में प्रार्थी वादी पक्षकार है यदि कोई प्रकरण विचाराधीन हो तो प्रार्थी वादी उसमें आगामी पेशी अंकित कर देता। वादी ने बंटवारा हेतू वाद पेश किया है तथा प्रतिवादी संख्या 01 वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेट खातेदार है उसके विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थी ने यह अनुतोष चाहा चाहा है कि जब तक कृषि भूमि का बंटवारा नही हो जाता तब तक विपक्षी संख्या 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे स्वयं प्रार्थी वादी ने बंटवारा हेतू कोई वाद पत्र पेश नही किया है। न्यायालय ऐसा कोई आदेश पारित नही कर सकती जो विधी अनुरूप नही है। विपक्षी संख्या 01 अपने हिस्से को बेचने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी वादी के पास जो 3/4 भूमि है वह प्रार्थी वादी ने विपक्षी संख्या 01 के तीनों बडे भाईयों से खरीद की है। जब तीनों बडे भाई अपने हिस्से की जमीन प्रार्थी वादी को विक्रय कर सकते है तो विपक्षी संख्य 01 को अपने हिस्से की जमीन बेचने से रोकना न्योयाचित नहीं है। अंत में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज फरमाया जावे तथा प्रार्थी तथा विपक्षी संख्या 01 के मध्य वादग्रस्त जमीन का अच्छी से अच्छी तथा बूरी से बूरी का उनके हिस्से के अनुसार बटवारा कर दिया जाने का निवेदन किया ।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजीयात ग्राम बडौदिया तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 66 खसरा संख्या 214 रकबा 0.2400 है0 खसरा संख्या 225 रकबा 0.0500 है0 गु.मु.आ.चा., खसरा संख्या 226 रकबा 0.9400 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2300 है0 स्थित है, जिसमें वादी का 3/4 हिस्सा है तथा विपक्षी संख्या 01 का हिस्सा उक्त कृषि भूमियों में 1/4 का हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित कृषि भूमियां वादी एवं प्रतिवादी 1 के सयुंक्त खाते की होकर शामलाती है, जिसका रिकोर्ड व मौके पर बंटवारा नहीं हो रहा है, जब तक उक्त कृषि भूमियों को बंटवारा नहीं हो जाता तथा रिकार्ड में दोनो के नाम के हिस्से अलग अलग दर्ज रिकार्ड नहीं हो जाते तब तक किसी भी पक्ष को बिना किसी दूसरे पक्ष की राहमति लिए उक्त कृषि भूमियों का रहन,बेचान, मुन्तकिल करवाया जाना कानून के विधि विरूद्ध है । अन्त में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना

पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को पांबद फरमाया जावे कि वह अपने हिस्से की 1/4 कृर्षि भूमियों का किसी प्रकार से रहन, बेचान, मुन्तकिल तथा मौके एवं रिकार्ड की स्थिति में जब तक कृर्षि भूमियों को बंटवारा नहीं हो जाता,कृर्षि भूमियों में परिवर्तन ना तो स्वयं करे, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षी ने प्रार्थी ने यह अनुतोष चाहा चाहा है कि जब तक कृषि भूमि का बंटवारा नही हो जाता तब तक विपक्षी संख्या 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे स्वयं प्रार्थी वादी ने बंटवारा हेतू कोई वाद पत्र पेश नही किया है। विपक्षी संख्या 01 अपने हिस्से को बेचने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी वादी के पास जो 3/4 भूमि है वह प्रार्थी वादी ने विपक्षी संख्या 01 के तीनों बडे भाईयों से खरीद की है। जब तीनों बडे भाई अपने हिस्से की जमीन प्रार्थी वादी को विक्रय कर सकते है तो विपक्षी संख्य 01 को अपने हिस्से की जमीन बेचने से रोकना न्योयाचित नहीं है। अंत में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत जमाबन्दी की नकल के अवलोकन से संवत 2076–79 ग्राम बडोदिया प0ह0 बडोदिया में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 सहखातेदार है। वर्तमान में बंटवारा नहीं हुआ है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र भी धारा 188 रा.टी.ए. का प्रस्तुत हुआ है तथा वादी ने अनुतोष चाहा है कि जब तक वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के बिच बंटवारा नही हो जाता, कृषि भूमियों में परिवर्तन ना तो स्वयं करें, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे इस बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का निवेदन किया। वादी द्वारा बंटवाडा का वाद–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है किन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा वादी द्वारा बंटवाड़ा होने तक की चाही गयी किन्तु बंटवाडा का कोई वाद न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे में अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना उचित प्रतित नहीं होता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से प्रार्थना पत्र धारा–212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

**निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को सुनाया गया।**

**(कैलाश चन्द गुर्जर)**
**(आर0ए0एस0)**
**सहायक कलेक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा**